न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर 12/25

1– राजेन्द्रसिंह पुत्र दुल्ली

2– वनैसिंह पुत्र दुल्ली

3– महेश पुत्र दुल्ली

4– रेशम पत्नि दुल्ली

5– उर्मिला पुत्री दुल्ली

6– हेमा कुमारी पुत्री दुल्ली

7– मिथलेश पुत्री दुल्ली

सभी जाति गुर्जर निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)

–– प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील बयाना

––मूल अप्राथी

2–बहादुर पुत्र सरदार जाति गुर्जर निवासी गाजीपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

––शोभनार्थ अप्रार्थी

निर्णय दिनांक:–24/11/25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 लैण्ड रैवन्यू एक्ट

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)

उपस्थितः– श्री अतरसिंह कैन एड0 प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्वरान 784/1128 रकवा 0.12, 785 रकवा 0.04 ,786 रकवा 0.76, 787/1229 रकवा 0.16, 790/1130 रकवा 0.20 व 502 रकवा 0.32, 504 रकवा 0.33 किता 7 कुल रकवा 1.93 हैक्टे0 वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में स्थित है कि जिसमें प्रार्थीगण 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काविज आराजी है । नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 खाता संख्या नया 59 इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। यह प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या–1 में वर्णित आराजी की चारों ओर की डौलमेड कायम चली आ रही थी लेकिन पडौसी काश्तकारान प्रार्थीगण व तरवी अप्रार्थी संख्या–2 की न्यारान्यूर डौल मेड को तोडते रहते है जव उनसे कहा सुनी करते है तो झगडा करने पर उतारु रहते है। यह प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात् की सीमाज्ञान राजस्व टीम व भूप्रबन्ध टीम के द्वारा दिनांक 20.06.2025 को उक्त आराजीयात् का सीमाज्ञान कराया था कि जिससे उक्त टीम ने कैम्पस द्वारा नाप की गई और नाप करने के पश्चात् उक्त खसरा नम्वरान की नक्शा की मुताविक सीमाज्ञान किया जाकर पर्चा मौका तैयार किया गया। और उपस्थित व्यक्तियों को पढकर सुनाया गया और हस्ताक्षर कराये गये । नकल मौका पर्चा सीमाज्ञान (निशानदेही) मय नक्शा वाके ग्राम गाजीपुर दिनांक 20.06.2025 पेश प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आराजीयात् को प्रार्थीगण दिनांक 20.07.2025 को मौके पर जाकर देखने गये तो पडौसी काश्तकारान ने प्रार्थीगण के उक्त खेत की डौलमेड को तोड दिया व प्रार्थीगण की जमीन में जबरदस्ती हस्तहक्षेप करने पर उतारु हो गये। और प्रार्थीगण के साथ झगडा करने पर उतारु हुये। इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात् की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहते है। कि जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यदि उक्त आराजीयात् की पत्थरगढी नहीं की गई तो प्रार्थीगण व पडौसी

Deepak
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

काश्तकारान में आपस में हर समय लडाई झगडे की संभावना उत्पन्न हो जावेगी । इसलिए उक्त आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी किया जाना न्याय के हित में आवश्यक हो गया है।

अन्त में प्रार्थीगण व शोभनार्थ अप्रार्थी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बरान 784/1128 रकवा 0.12, 785 रकवा 0.04, 786 रकवा 0.76, 787/1229 रकवा 0.16, 790/1130 रकवा 0.20 व 502 रकवा 0.32, 504 रकवा 0.33 किता 7 कुल रकवा 1.93 हैक्ट वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना की पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में दौराने बहस एड0 प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में शोभनार्थ अप्रार्थी संख्या 02 ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र उक्त आराजी खसरा नम्बरान की पत्थरगढी कराये जाने में अपनी सहमति दी।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2076—79, फोटोप्रति नक्शा पटवारी हल्का गाजीपुर 16.07.2025, फोटोप्रति सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025, फोटोप्रति नक्शा सुपरइम्पोज 20.06.2025 का गहनता से अवलोकन किया।

पत्रावली व पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 लैण्ड रैवन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बरान 784/1128 रकवा 0.12, 785 रकवा 0.04, 786 रकवा 0.76, 787/1229 रकवा 0.16, 790/1130 रकवा 0.20 व 502 रकवा 0.32, 504 रकवा 0.33 किता 7 कुल रकवा 1.93 हैक्ट वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना की पत्थरगढी प्रार्थीगण के खर्चे पर करवाई जावे। तहसीलदार बयाना को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद—तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना
बयाना (भरतपुर)

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)